



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239332
CG-DL-E-04102022-239332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4466]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944

No. 4466]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4674(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी पुत्र मृत मोहम्मद सिकंदर पीर, जो मूल रूप से बाबरपोरा, करालपोरा, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय रावलपिंडी, पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 82203-7942470-9 है, हिज्बुल-मुजाहिदीन का लॉचिंग कमांडर है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त बशीर अहमद पीर, हिज्बुल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने, विशेषकर कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए अन्य आतंकवादी समूहों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है ;

और उक्त बशीर अहमद पीर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए निधियों को भेजने में सम्मिलित रहा है ;

और उक्त बशीर अहमद पीर हिज्बुल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोइबा और अन्य आतंकवादी संगठनों के कार्यकलापों को अग्रसर करने के लिए पूर्व उग्रवादियों और अन्य संवर्गों को एकजुट करने हेतु अनेक आनलाईन प्रोपेगंडा समूहों में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी आतंकवाद में अन्तर्वलित है और उक्त बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“43. बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी” ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4673(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4674(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Bashir Ahmad Peer @ Imtiyaz Alam @ Haji, son of Late Mohd Sikander Peer belonging originally to Babarpora, Kralpora, Kupwara, Jammu and Kashmir presently residing at Rawalpindi, Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 82203-7942470-9, is launching commander of Hizb-UI-Muhahideen;

And whereas, Hizb-UI- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer, is responsible for providing logistics to Hizb-UI-Mujahideen terrorists, especially for infiltration into Kupwara, Jammu and Kashmir and coordinates with other terrorist groups for terror activities in the Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer has been involved in routing funds for terrorism activities in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer has been involved in a number of online propaganda groups to unite ex-militants and other cadres for furtherance of activities of terrorist organisations Hizb-UI-Mujahideen, Lashkar-e-Taiba and others;

And whereas, the Central Government believes that Bashir Ahmad Peer @ Imtiyaz Alam @ Haji is involved in terrorism and the said Imtiyaz Bashir Ahmad Peer @ Imtiyaz Alam @ Haji is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“43. Bashir Ahmad Peer @ Imtiyaz Alam @ Haji”.

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4673 (E), dated the 4th October, 2022.